छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 20-95/04/11/6 रायपुर, दिनांक 15 जून, 2005

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

2. प्रबंध संचालक
सी.एस.आई.डी.सी.लि.
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– औद्योगिक नीति 2004–2009 में घोषित राज्य के लघु उद्योगों को भूमि व्यपवर्तन से छूट के संबंध में ।

विषयान्तर्गत औद्योगिक नीति 2004–2009 में घोषित राज्य के लघु उद्योगों को 5 एकड़ से अनाधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुर्ननिर्धारण से छूट के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005, जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 20 मई, 2005 को किया गया है, की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(पी0 के0 शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

IP
16/6

सभी DTICs / संभागों को भेजें (यदि पहले न भेजा हो)

6179
29.6.05

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2005—वैशाख 30, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2005

क्रमांक 4515/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-5-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 6 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 44 में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् संहिता के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 44 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील—

(एक) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया है-तो कलेक्टर को;

(दो) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है-तो मण्डल को;

(तीन) यदि ऐसा आदेश बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया है-तो बन्दोबस्त आयुक्त को; की जाएगी."

धारा 59 में अन्तः स्थापन. 3. संहिता की धारा 59 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से छूट होगी."

रायपुर, दिनांक 20 मई 2005

क्रमांक 4515/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 6 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2005)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code, (Amendment) Act, 2005 (No. 6 of 2005).

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 44.

2. For sub- section (2) of section 44 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the Code) the following sub-section shall be substituted, namely :—

   "(2) Save as otherwise provided a second appeal shall lie against every order passed in first appeal under this code or the rules made thereunder :—

   (i) if such order is passed by the Sub-Divisional Officer—to the Collector;

   (ii) if such order is passed by the Collector—to the Board;

   (iii) if such order is passed by the Settlement Officer—to the Settlement Commissioner."

Insertion in Section 59.

3. After sub-section (2) of section 59 of the code following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided that the small industries shall be exempted from the re-assessment of the land diverted not exceeding five acres."